उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या: 427 /सातावन-06-
लखनऊ : दिनांक 4.4 मार्च, 2006

आदेश

श्री देवीजी बेला भवानी मन्दिर ग्राम-वेलोन, तह0- डिबाई जिला-बुलन्दशहर के सम्यक रखरखाव एवं समग्र विकास हेतु समिति गठन के संबंध में।

श्री देवीजी बेला भवानी मन्दिर ग्राम-वेलोन, तह0- डिबाई जिला-बुलन्दशहर के सम्यक रखरखाव एवं समग्र विकास हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मन्दिर के रखरखाव पूजा अर्चना की सम्यक व्यवस्था, मन्दिर के समीपस्थ क्षेत्र के समग्र विकास एवं मंदिर के प्रशासन हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :-

1-	जिलाधिकारी, बुलन्दशहर	[illegible]
2-	मुख्य विकास अधि0 बुलन्दशहर	पदेन सचिव
3-	उप जिलाधिकारी, डिबाई	पदेन सदस्य
4-	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	पदेन सदस्य
5-	जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा नामित ऐसे तीन सदस्य जो मन्दिर के परम्परागत पुजारियों का प्रतिनिधित्व करते हों।	(नामित सदस्य)
6-	राज्य सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी	पदेन सदस्य
7-	अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
8-	अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग	पदेन सदस्य
9-	जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत एक जिला अथवा तहसील स्तरीय अधिकारी	कोषाध्यक्ष

2- उक्त समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह मन्दिर पर चढ़ावे अथवा दान के रूप में प्राप्त हो रही सभी धनराशि को दानपात्र में डलवाया जाना सुनिश्चित करें। दानपात्र पर लगे हुए ताले की दो चाभियां रखी जायं जो दो भिन्न-भिन्न अधिकारियों की अभिरक्षा में रहेंगी।

----2/--

Scanned with OKEN Scanner

समिति के अध्यक्ष द्वारा 15 दिन की अवधि में एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाय जिसमें समिति के सचिव और नामित सदस्यों में से न्यूनतम दो सदस्यों की उपस्थिति में दानपात्र खुलवाकर सभी चढ़ावे को प्रथक-प्रथक रजिस्टरों में अंकित किया जाय।

3- प्राप्त धनराशि को समिति के नाम किसी बैंक में खाता खुलवाकर जमा कराया जाय। इस खाते का संचालन जिलाधिकारी द्वारा नामित समिति के दो सदस्यों द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा उक्त प्राप्त धनराशि को मंदिर के रखरखाव पूजा अर्चना एवं विकास कार्यो आदि पर व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय हेतु समिति की सिफारिशों पर आयुक्त मेरठ मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- इस समिति का पंजीकरण रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी के कार्यालय में जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा। समिति एक सप्ताह में अपनी उपविधिया बनाकर रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी के कार्यालय में जमा कर अपना पंजीकरण करायेगी।

इस संबंध में जिलाधिकारी 15 दिन के अन्दर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

(सुनन्दा प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्याः /सत्तावन-06 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
(2) मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
(3) उप जिलाधिकारी, डिबाई, बुलन्दशहर।
(4) मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर।
(5) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर।
(6) अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, बुलन्दशहर।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार यदुवंशी)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner